

कार्यालय— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी।


पत्रांक: डायट: लेखा अनु०/एक-(०१)/ १४

/2022-23/ दिनांक 16 फरवरी, 2023

विज्ञप्ति/अल्पकालीन नीलामी सूचना (त्रुटीय अवसर)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 03 मार्च, 2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट उत्तरकाशी के प्रांगण में निष्ठयोज्य घोषित वाहन संख्या UA-10/0017 महिन्द्रा जीप जो वर्तमान में डायट परिसर, बड़कोट, उत्तरकाशी में खड़ी है की नीलामी “जहां है, जैसी है” के आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित तिथि को समिति के समक्ष उपस्थित होकर बोली बोल सकते हैं। बोली हेतु न्यूनतम मूल्य ₹० 65000/- (रु० पैसठ हजार मात्र) (जी०एस०टी० पृथक से) निर्धारित किया गया है। जिस बोलीदाता की बोली अधिक होगी, उसकी बोली को समिति द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।

नीलामी की विज्ञप्ति, आवेदन पत्र व शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय से अथवा संस्थान की वेबसाईट WWW.dietuttarkashi.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।


प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बड़कोट उत्तरकाशी।

पृ०सं०: डायट: लेखा—अनु०/एक-(०१)/ १३९-५०

/2022-23/ दिनांक: तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- 1. संवाददाता, दैनिक हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम पठनीय साइज़ में राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
2. संवाददाता, दैनिक अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम पठनीय साइज़ में राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।


प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बड़कोट उत्तरकाशी।

कार्यालय : प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी।

निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की नीलामी हेतु शर्ते

वाहन की नीलामी हेतु बोलीदाताओं पर निम्नलिखित नियम एवं शर्ते प्रतिपादित होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण-पत्र/अभिलेख नीलामी के आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा:-

1. वाहन संख्या UA-10/0017 की नीलामी दिनांक 03 मार्च, 2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट, उत्तरकाशी में की जायेगी।
2. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाता को आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित अभिलेख समिति के समक्ष जमा कराने होंगे। अभिलेखों का सत्यापन व आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं सही पाये जाने पर ही फर्म/बोलीदाता को बोली में प्रतिभाग करने के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. वाहन का विक्रय खुली बोली के आधार पर किया जायेगा।
4. इस अवधि में यदि कोई शासकीय नियमों में परिवर्तन होगा तो तदनुसार संशोधन लागू माना जायेगा।
5. इच्छुक प्रतिभागी को बोली लगाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि के रूप में ₹0 3000.00 (₹0 तीन हजार) नकद समिति के पास जमा कराने होंगे। कोई चैक, बैंक ड्राफ्ट या हुण्डी स्वीकार नहीं की जायेगी। सफल बोलीदाता की जमानत राशि बोली में समायोजित कर ली जोयेगी व शेष बोलीदाताओं की जमानत राशि बोली स्वीकृत होने के उपरांत वापस कर दी जायेगी।
6. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि को उसी समय कार्यालय में जमा कराना होगा तथा अवशेष धनराशि को अनिवार्य रूप से सात दिन के अन्तर्गत कार्यालय में जमा कर निष्प्रयोज्य वाहन को कार्य स्थल से उठाना होगा।
7. निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट, उत्तरकाशी में "जहां है, जैसी स्थिति में है" के आधार पर की जायेगी।
8. नीलामी हेतु निर्धारित मूल्य पर 18 प्रतिशत जी०ए०स०टी० सफल बोलीदाता को जमा कराना होगा।
9. बोली स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
10. नीलामी हेतु अल्पकालीन नीलामी विज्ञप्ति को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
11. इच्छुक बोलीदाता 17 फरवरी, 2023 से 02 मार्च, 2023 तक किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर निष्प्रयोज्य वाहन का अवलोकन/निरीक्षण कर सकते हैं।
12. नीलामी की विज्ञप्ति आवेदन पत्र व शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय से अथवा संस्थान की वेबसाईट WWW.dietuttarkashi.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।
13. नीलामी हेतु गठित समिति उच्चतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। नीलामी हेतु गठित समिति द्वारा बोली लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों व गलत इरादे से बोली लगाने वाले व्यक्तियों को बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. नीलामी करने वाले अधिकारी द्वारा किसी भी बोली की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगी।
15. बोली लगाने वाले व्यक्तियों को उनकी बोली पर ही रखा जाएगा चाहे वह उच्चतम् हो अथवा नहीं।

- 16. किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जबतक की उसका सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म द्वारा लिखित वैद्यानिक प्राधिकार-पत्र न दिया गया हो।
- 17. वाहन को वहीं विक्रय किया जायेगा जहां पर वह उपलब्ध है। वाहन को नीलाम किये गये स्थान से ही शिकायत पर भी विचार नहीं किया जायेगा। वाहन को इस धारणा से विक्रय किया जायेगा कि बोलीदाताओं ने वाहन का निरीक्षण कर लिया है और जानते हैं कि वें क्या खरीद रहे हैं।
- 18. यदि कोई सफल बोलीदाता उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी रद्द की जा सकती है और उसके द्वारा इस हेतु जमा की गयी बयाना राशि जब्ल कर ली जा सकती है। ऐसा होने पर अगले उच्चतम् बोलीदाता को अवसर प्रदान किया जा सकता है।
- 19. नीलाम किये जा रहे वाहन का अन्तिम भुगतान प्राप्त होने पर बोलीदाता को वाहन को उठाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यकारी आदेश जारी कर प्रदान की जायेगी।
- 20. वाहन को सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति में हटाया / उठाया जायेगा।
- 21. यदि सक्षम प्राधिकारी या सरकार जैसा भी मामला हो स्वीकृत बोली को स्वीकार नहीं करता है तो सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गयी राशि उसे वापस कर दी जाएगी और उसके पक्ष में नीलामी को शून्य माना जाएगा।
- 22. किसी भी विवाद के मामले में मुकदमा दायर का अधिकार क्षेत्र वह स्थान होगा जहां नीलामी आयोजित की जायेगी।
- 23. इन नियमों में निहित शर्तों की स्वीकृति सभी बोलीदाताओं को लिखित रूप नीलामी से पूर्व देनी होगी। तभी उन्हे नीलामी में बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।
- 24. बोली में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा जो नियमानुसार समिति के समक्ष निर्धारित समय तक आवेदन जमा करेंगे।


प्रभारी
प्रशिक्षण

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बड़कोट, उत्तरकाशी।

कार्यालय— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बड़कोट उत्तरकाशी।

वाहन संख्या UA-10-0017 की नीलामी हेतु आवेदन—पत्र

1. नीलामी हेतु बोलीदाता का नाम
पता.....
- फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण
मोबाईल
2. फर्म का नाम
पता
- फोन नम्बर कार्यालय
मो0
3. फर्म का रजिस्ट्रेशन न0.....
4. बैंक खाता विवरण.....
5. फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर.....
6. पैन कार्ड का विवरण.....
7. जमानत धनराशि का विवरण.....
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की संख्या एवं उनका विवरण.....

हस्ताक्षर

सील

घोषणा—पत्र

मैं पुत्र श्री

(व्यक्ति / फर्म) सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई भी सूचना जो नीलामी की शर्तों के अनुरूप दी जानी आवश्यक थी, छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा। नीलामी में भाग लेने के लिए मैं किसी भी प्रकार की अयोग्यता नहीं रखता हूँ। मेरे द्वारा नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें पढ़ ली गयी हैं और मैं इन नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

नाम

व्यक्ति / फर्म का नाम

व्यक्ति / मालिक / प्रबन्धक के हस्ताक्षर दिनांक सहित

फर्म की मुहर